न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 23/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/25)

बृजलाल पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी कनाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. मांगेराम पुत्र श्री जोधसिह जाति राजपूत निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार (राजस्व) भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री राजकुमार व्यास – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विजय कुमार पारीक –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 12.07.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ) के निर्णय दिनांक 26.04.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने बृजलाल ने तहसीलदार भादरा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं. 29 की 0.5310 हैक्टर व खसरा नं. 124 की 2.8460 हैक्टर कुल 16 बीधा 6 बिस्वा अर्थात 3.3710 हैक्टर बारानी कृषि भूमि मृतक लादूराम ने दिनांक 10.06.1976 को प्रार्थी के पक्ष वसीयत मे कर दी थी, उसके आधार पर उक्त भूमि का इंतकाल प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमावे। जिस पर तहसीलदार भादरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.02.2019 द्वारा वसीयत अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश दिये। तहसीलदार भादरा के निर्णय दिनाक 12.02.2019 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट मांगेराम ने अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में अपील प्रस्तुत कर तहसीलदार भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2019 को अपास्त करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनाक 26.04.2022 द्वारा मांगेराम की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार भादरा का निर्णय दिनांक 12.02.2019 को अपास्त कर

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पत्रावली रिमाण्ड कर पक्षकारो को साक्ष्य एवं सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने का निर्देश दिया। निर्णय दिनांक 26.04.2022 के विरूद्व अपीलान्ट बृजलाल ने इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील दिनांक 26.04.2022 को निरस्त कर अपीलान्ट के हक में भूमि जैर अपील इंतकाल तस्दीक फरमाने का निवेदन किया।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने तहसीलदार भादरा के संमक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि लादूराम पुत्र श्योजीराम निवासी रासलाना ने अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि खसरा नं. 29 की 0.5310 हैक्टर व खसरा नं. 124 की 2.846 हैक्टर कुल 16 बीधा 6 बिस्वा अर्थात 3.3770 हैक्टर बारानी कृषि भूमि दिनांक 10.06.1976 को प्रार्थी के पक्ष मे वसीयत कर दी थी, उसके आधार पर उक्त भूमि का इंतकाल प्रार्थी के नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार के संमक्ष प्रार्थना पत्र पेश होने पर सार्वजनिक सूचना अखबार मे प्रकाशित करवाई गई, अपीलान्ट ने तहसीलदार के संमक्ष वसीयत के गवाह फूलाराम व बेगराज के बयान करवाये गये जिस पर वसीयत को सही होना बताया, इस दरम्यिान रेस्पोडेन्ट मांगेराम ने दिनांक 05.03.2018 को उपस्थित होकर वसीसत के फर्जी होने की आपत्ति जताई व दिनांक 23.03.2018 को पेश होकर साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर चाहा। तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेन्ट मांगेराम को साक्ष्य पेश करने हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बाद भी ना तो उपस्थित हुआ और ना ही साक्ष्य पेश किया। तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट के आधार व वसीयत का अवलोकन करने बाद तहसीलदार भादरा ने दिनांक 12.02.2019 को अपीलान्ट के नाम वसीसत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश पटवारी को दिया। वसीयत को सिविल न्यायालय मे किसी ने चेंलेज नही किया है, ना अपीलान्ट के विरूद्व किसी ने फर्जी वसीयत की FIR करवाई है। तहसीलदार भादरा के आदेश दिनांक

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

12.02.2019 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट मांगेराम ने अतिरिक्त कलक्टर नोहर के संमक्ष अपील प्रस्तुत की। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर ने किसी भी विधिक राय कायम नही की बल्कि मांगेराम के कथन को सत्य मानते हुए प्रकरण को पुनः रिमाण्ड कर दिया। रेस्पोडेन्ट मांगेराम की अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पोषणीय नही थी। वह अपील इस न्यायालय में पेश होनी थी। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इसकी आपत्ति की गई की रेस्पोडेन्ट मांगेराम तहसीलदार भादरा के समक्ष उपस्थित होकर वसीयत पर एतराज प्रस्तुत कर चुका है, तहसीलदार द्वारा दोनो पक्षो को सुना गया है, रेस्पोडेन्ट मांगेराम ने इतना समय निकल जाने के बाद भी साक्ष्य पेश नही। अतः यह आदेश भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित किया माना जायेगा। अदालत मातहत द्वारा इस कानूनी बिन्दु को पूर्णतः नजर अंदाज कर अपीलान्ट के विरूद्व आदेश पारित कर दिया। निर्णय अदालत मातहत Speaking - order की परिभाषा में नही आता है। इसके साथ रेस्पोडेन्ट मांगेराम की अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी, अपीलान्ट ने उक्त मियाद प्रार्थना पत्र का जवाब व काउंटर शपथ पत्र भी पेश किया, जिस पर अदालत मातहत ने अपने निर्णय पर मियाद के बिन्दु पर किसी तरह का जिक्र नही किया। साथ ही रेस्पोडेन्ट मांगेराम ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के विरूद्व पेश की जो गलत थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 26.04.2022 निरस्त फरमाया जावे व अपीलान्ट के हक में भूमि जैर अपील इंतकाल तस्दीक किया जावे।

5 रेस्पोडेन्ट स. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार भादरा के पास प्रकरण वसीयत के सम्बन्ध मे था। जिसमें तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 21.02.18 को पटवारी हल्का रासलाना से वसीयत बाबत रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.02.18 को रिपोर्ट भिजवाई. रिपोर्ट पर अंकन किया कि मिसल बन्दोबस्त से आज दिनाक तक लादू वल्द

अति. उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

श्योजी कौम जाट के नाम से भूमि दर्ज है। स्व अर्जित या विरासतन उक्त भूमि किस प्रकार से लादू वल्द श्योजी के नाम दर्ज है। इस हेतु कोई रिकार्ड दर्ज नही है। इस प्रकार वसीसत में कब्जा होना जरूरी है जिसमे अपीलान्ट बृजलाल का कब्जा नही है। कब्जा हमारे पास है। तहसीलदार भादरा के पास प्रकरण की प्रोसिडिग अधूरी थी। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत फर्जी है। वसीयत करने वाला व जिसके पक्ष में वसीयत की गई वो दोनो अलग अलग गांव से है। वसीयत में सेवा चाकरी की गई इसका भी कोई जिक्र नही है, और ना ही वसीयत प्रमाणित है। अपीलान्ट के पास पजेशन नही है उक्त भूमि का पजेशन रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पास है। तहसीलदार भादरा के पास प्रकरण कन्टेस्टैड नही हुआ था क्योकि दोनो पक्ष हाजिर नही हुए थें, तहसीसलदर भादरा अंतिम समय तक नोटिस जारी करते रहे, इसलिए प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर मे प्रस्तुत होगी। अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करते समय अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट भूल से लिख दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया है जो सही है वहा रिमाण्ड प्रकरण मे सभी को सुनवाई का मौका मिलेगा तथा सही प्रकार से जांच हो जायेगी। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1997 पृष्ठ 127 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 26.04.2022 के विरूद्व अन्दर मियाद प्रस्तुत हुई। अधीनस्थ न्यायालय में अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र धारा 225 आर टी एक्ट अंकित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 में दर्ज की है जिसमें अपीलान्ट ने उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग लिया है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार की प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.07.2021 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने कोई निगरानी प्रस्तुत नही की इस प्रकार अपीलान्ट के उक्त दोनो ऐतराज इस स्तर पर अपील मे सुनने योग्य नही है। जहा तक तहसीलदार नोहर के द्वारा वसीयत प्रकरण सं. 8/2018 में दिनांक 12.02.2019 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का प्रश्न है के सम्बन्ध मे तहसीलदार भादरा की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण दिनांक 29.01.2018 को दर्ज होने के पश्चात दिनांक 15.03.2018 की आदेशिका के अनुसार उज्र कर्ता मांगेराम पुत्र जोधसिह को सबूत पेश करने हेतु नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये है आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.03.2018 को उज्र कर्ता ने उपस्थित होकर समय चाहा। तत्पश्चात उज्र कर्ता द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही किये जाने पर दिनांक 12.02.2019 को निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वसीयत अपजीकृत है। रेवेन्यू टिकट पर अगूठा अंकित है। उक्त वसीयत दिनांक 10.06.1976 की है, वसीयत कर्ता की मृत्यु दिनांक 21.08.1976 को हुई है। अधीनस्थ न्यायालय मे अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में रेस्पोडेन्ट ने वसीयत दिनांक 02.05.1971 की फोटो प्रति पेश की है जो कि अंपजीकृत है। इस प्रकार दोनो ही पक्षो के पास तथाकथित वसीयत है, जो कि अपंजिकृत है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.04.2022 मे कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक रिकोर्ड के मृतक खातेदार ला औलाद फौत हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण मे राज गामित्व अधिनियम के प्रावधानो का भी ध्यान रखा जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गांसी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर